

ख
म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

नम्बर
अहकाम जो इस
की तामील में जारी हुए

7/8/19

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
आज भ्रमण पर होने से पत्रावली
दिनांक 26.9.19 को पेश हो।

[Signature]
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

26.9.19

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 19.11.19 को पेश हो।

[Signature]
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

19.11.19

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 7.1.2020 को पेश हो।

[Signature]
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

7/01/20

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
आज भ्रमण पर होने से पत्रावली
दिनांक 30/01/20 को पेश हो।

[Signature]
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

30/1/2020

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 16/4/2020 को पेश हो।

[Signature]
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

14/2/20

पत्रावली आज पत्रावरन के प्रपिना
पत्र के निवेदन पर आज तापस
की गई।

पत्रावरन ने प्रपिना पत्र अन्तर्गत
आदेश 23 नियम 03 शिबिप प्रक्रिया
सहिता बाबत राजीनामा को इन्फिलिस्कि
किए जाने बाबत पेश कर निवेदन
किया की पत्रावरन के प्रत्य लोक
अध्यात की भावना न आपसी
समझौदा से राजीनामा हो गया

46
4/14/20
14 Feb 2020
[Signature]
7
[Signature]
14/2/2020
T. K. H. C.
[Signature]

है। राजीनामा में जाहिर किया गया कि कवाकृत कर्तव्य भूमि श्री श्री भोराराम जी या श्री भगवानराम के स्वतंत्रता की भूमि है। स्व. भोराराम जी ने अपने जीवनकाल में जसिये वसीयत आईदान के पक्ष में भूमि दे दी थी। जिसके बाद कवाकृत सप्यारी आईदानराम के कदम काश स्वतंत्रता की रही, जिसके वाली कोई एक हिस्सा लेना नहीं चाहती तथा राजीनामा के साथ आपसी इकरारनामा से कौनों पक्ष पाबन्द रहे। मामिले राजीनामा वदपत्र सिद्धोप खासिज जरमाह।

पक्षमारन को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया, जिले पक्षमारन गरा सही होना स्वीकार किया गया। बाद जसिये राजीनामा तहकीम किया गया, तथा पक्षमारन को उनके वसीयत इरा पदचान दी गयी।

पक्षवली का अवलोकन व इकरारनामा किया गया। न्यूमी: वाली वतमान वदमेकोई अनुलोख नहीं चाहती है। पक्षमारन के मध्य राजीनामा हो गया है। जिसके वतमान बाद जसिये राजीनामा सिद्धोप करना न्यायोचित प्रतीत होता है। किंतु राजीनामा मामिले वाली का वदपत्र सिद्धोप कर खासिज 1 भिपत जाता है।

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

पक्षकारन रक्ती अपना = अपना
वहन करे। पत्रावली जैतल सुमार
होकर मीज दारमिल दफतर हे।।

निर्णय आज दिनांक 14/2/20
को सुले न्यायालय में सुनाया
गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोत